अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है । वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2003-2004	संशोधित अनुमान 2003-2004	बजट अनुमान 2004-2005
क. ऋण*	13202.40	13589.61	14946.19
ख. नकद अनुदान	1373.14	2674.26	3437.94
ग. वस्तु अनुदान सहायता	87.89	182.87	159.99
(i) खाद्य	...	...	...
(ii) अन्य	87.89	182.87	159.99
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**14663.43**	**16446.74**	**18544.12**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	9620.78	25294.26	6869.67
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर)	5042.65	(-) 8847.52	11674.45
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3288.15	3142.83	2629.84
ज. ऋण को घटाने हेतु प्रीमियम की वापसी अदायगी	...	107.85	...
जोड़ (छ+ ज)	*3288.15*	*3250.68*	*2629.84*
झ. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर)	1754.50	(-) 12098.20	9044.61
** इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।*	300.00	500.00	400.00

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई हैं तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2003-04 का बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के अनुसार, सरकार द्वारा केवल यूरोपीय कमीशन, जर्मनी, जापान, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त करना जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने जापान, जर्मनी, यूएसए और फ्रांस के अतिरिक्त इसके बकाया द्विपक्षीय ऋण की समय पूर्व अदायगी करने का निर्णय भी किया गया है।

उन द्विपक्षीय विकास साझीदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय किया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर भी विचार करें।

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा द्विपक्षीय विकास साझीदारों के साथ और अधिक विकास सहयोग के सम्बान्ध में 12 सितम्बर, 2003 को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और द्विपक्षीय विकास साझीदारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। 5 जनवरी, 2004 को और स्पष्टीकरण जारी किए गए थे।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

I. आस्ट्रेलिया

अनुदान सहायता *(करोड़ रुपए)*

सं.अ. 2003-04	**ब.अ. 2004-05**
2.00	5.00

आस्ट्रेलिया से सहायता प्राप्त करने वाली मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं (i) यूनीसेफ के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा संवृद्धि परियोजना (चरण-II), (ii) गंगटोक और शिलांग शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम, (iii) एचआईवी/एड्स निरोधक और देख-रेख परियोजना। अनुदान प्राप्त परियोजनाएं सामान्यतया सीधे वित्तपोषण एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और सहायता भारत सरकार के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती है। तथापि, एचआईवी/एड्स के लिए रोकथाम और देख-रेख की परियोजना जो आस्ट्रेलियाई सहायता के भाग हैं उन्हें सरकारी बजट के माध्यम से प्रतिपूर्ति के आधार पर लिया जाएगा।

II. कनाडा

कनाडा की भारत को आर्थिक सहायता 1951 में शुरू हुई। कनाडा की सहायता कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) के माध्यम से दी जाती है। 1 अप्रैल, 1986 से सीडा द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में है।

2. द्विपक्षीय ऋण पर हमारी नई नीति के अनुसार सीडा ऋण अर्थात कनाडा से प्राप्त ऋणों की पहचान समयपूर्व अदायगी के लिए कर ली गई है और सरकार वर्तमान में कनाडा से प्राप्त सभी द्विपक्षीय ऋणों की पुनर्अदायगी की प्रक्रिया चल रही है। आगे सभी सीडा की चालू परियोजनाएं जिनके लिए करार और अन्य विज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उन्हें उनकी अवधि तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सीडा द्वारा सहायता प्राप्त महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं हैं – वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना, भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना, राजस्व प्रशासन क्षमता विकास परियोजना, ऊर्जा आधारभूत सेवा परियोजना, उद्योग सम्पर्क परियोजना, एचआईवी/एड्स रोकथाम व नियंत्रण परियोजना और पर्यावरण संस्थागत सुदृढीकरण परियोजना। इन परियोजनाओं में तकनीकी सहायता शामिल है और निधियां बजट के जरिए नहीं दी जाती हैं।

III. डेनमार्क

डेनमार्क 1963 से भारत को सहायता प्रदान कर रहा है। वर्तमान में डेनिश सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त की जा रही है। डेनिश विकास सहायता उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में गरीबी उपशमन पर केंद्रित है। तकनीकी सहायता भी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

IV. जर्मन संघीय गणराज्य

जर्मनी भारत के छह मुख्य द्विपक्षीय विकास सहयोग साझेदारों में एक है, जिसके साथ लघु सहायता पैकेजों वाले देशों से नये द्विपक्षीय विकास सहायता को बन्द करने की हमारी नयी नीति, जिसकी घोषणा के बाद भी द्विपक्षीय विकास सहयोग जारी है। जर्मनी भारत को वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

V. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को वर्ष 1968 से आर्थिक सहायता दे रही है। फ्रांसीसी सहायता फ्रांसीसी सामान एवं सेवाओं के आयात के लिए है। अनुदान सहायता कुछेक कम मूल्य वाली तकनीकी सहयोग परियोजनाओं के लिए सीमित है। फ्रांसीसी सहायता मुस्यतः उदार शर्तों पर राजकोषीय ऋण सहित मिश्रित ऋण और निर्यात ऋण के रूप में ओ.ई.सी.डी की ब्याज की रियायती दरों पर है। मिश्रित ऋण का उपयोग विद्युत,कोयला, रेलवे, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और खनन, कृषि, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि के लिए किया गया है। अप्रैल, 1968 से मार्च 2003 तक कुल वचनबद्ध फ्रांसीसी सहायता 15443.669 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक और 15.201 मिलियन यूरो बैठती है।

VI. इटली

पश्चिम बंगाल में एक जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना लगभग 50 बिलियन एलआईटी इटालियन ऋण द्वारा वित्तपोषित की जा रही है। ऋण के निबंधन और शर्तों पर इटली सरकार के साथ मौखिक रूप से सहमति देते हुए एक नोट दिनांक 05-02-2003 को हस्ताक्षरित किया गया था।

VII. जापान

1. जापान से, नीचे दर्शाए गए स्तर की सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) प्राप्त होने की आशा है।

(i) ऋण *(करोड़ रुपए)*

सं.अ. 2003-04	**ब.अ. 2004-05**
3364.07	4232.15

वर्ष 2003 के दौरान निम्नलिखित के लिए नए ऋण प्राप्त होने की आशा थीः (i) यूमियम स्टेट-II विद्युत केन्द्र की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण (ii) अनपारा "सी" तापीय विद्युत परियोजना (iii) अरावली क्षेत्र, हरियाणा में संस्थागत भवन और एकीकृत राष्ट्रीय संसाधन विकास (iv) दिल्ली जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली परियोजना पांचवी किश्त (v) पुरुलिया पम्प्ड भण्डारण स्कीम परियोजना (vi) धौलीगंगा पन बिजली विद्युत परियोजना (vii) रेंगाली सिंचाई परियोजना दूसरी किश्त (viii) जयपुर जलापूर्ति और सफाई परियोजना, राजस्थान (ix) के.सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना दूसरी किश्त। इसके अलावा, इस समय चालू 37 परियोजनाएँ जापान की ओडीए ऋण सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ii) सामान्य अनुदान *(करोड़ रुपए)*

सं. अ. 2003-04	**ब.अ. 2004-05**
30.00	41.00

2. ऋण राहत अनुदान सहायता

सं. अ. 2003-04	**ब.अ. 2004-05**
9.00	5.00

IX. नीदरलैंड

नीदरलैंड भारत को वर्ष 1962-63 से ही सामान्य प्रयोजन ऋण, ऋण राहत सहायता, आपूर्तिकर्ता ऋण (वित्तीय निर्यात ऋण) तथा अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह अनुदान स्थानीय लागत व्यय तथा तकनीकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता है।

नीदरलैंड की सहायता इन क्षेत्रों के लिए प्राप्त की गई हैः

* पर्यावरण
* पेय जल आपूर्ति
* सिंचाई और जल परिवहन
* कृषि

नीदरलेंड सरकार ने प्रत्येक परियोजना के कुल लागत के 35 प्रतिशत तक नीदरलैंड से चुनिन्दा पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने हेतु लागत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को ओ आर ई टी अनुदान भी उपलब्ध कराए हैं।

IX. नार्वे

भारत में नार्वेजियाई विकास द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम वर्ष 1952 में केरल में मात्स्यिकी विकास परियोजना के लिए द्विपक्षीय सहायता के साथ तकनीकी सहायता और वित्तीय समर्थन के रूप में शुरू हुआ। नार्वेजियाई सरकार द्वारा दी गई द्विपक्षीय विकास सहायता नार्वेजियाई विकास एजेंसी (नोराड) के माध्यम से सरणीबद्ध है।

X. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की निधि

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक निधि की स्थापना तेल निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्यो में आर्थिक सहायता प्रदान करके ओपेक सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। ओपेक निधि ने अब तक कुल मिलाकर 218.800 मिलियन अमरीकी डालर के चौदह ऋण दिए हैं। 31 मार्च, 2003 तक ऋणों का कुल उपयोग 205.456 मिलियन अमरीकी डालर है।

XI. सऊदी विकास निधि

विकासशील देशों में विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सऊदी विकास निधि की स्थापना की गई थी जो स्वायत्तता प्राप्त कानूनी संस्था है; जिसने अब तक 769.200 मिलियन सऊदी रियाल की कुल राशि के चार ऋण दिए हैं।

XII. स्वीडन

भारत वर्ष 1964 से स्वीडिश सहायता प्राप्त करता रहा है हालांकि स्वीडन भारत सहायता संघ का पूर्ण रूप में सदस्य वर्ष 1969 में ही बना। स्वीडिश सहायता स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सिडा) के माध्यम से आती है। स्वीडिश सहायता की शर्ते कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर उदार हुई हैं। अनुदान सहायता के अलावा, स्वीडिश सरकार ने पूर्व में विद्युत परियोजनाओं को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया है। वर्ष 1976 के बाद स्वीडिश सहायता अनुदान के रूप में है।

XIII. स्विटजरलैण्ड

केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) की नेरियामंगलम पन बिजली परियोजना के पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और इसे अद्यतन बनाने के कार्यों के लिए वित्तपोषण भारत-स्विस मिश्रित क्रेडिट योजना के तहत स्विस ऋणों द्वारा किया जा रहा है।

XIV. यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। अनुदानों के रूप में, यू.के. इस समय भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोग साझेदार है। यू.के. सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएचआईडी) जो विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय का एक हिस्सा है, के माध्यम से प्रदान की जाती है।

यू.के. सहायता के लिए प्राथमिकता क्षेत्र इस प्रकार हैंः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा सुधार, पर्यावरण और गंदी बस्ती विकास, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में सुधार।

साझेदार राज्यः डीएफआईडी प्राथमिकता क्षेत्र हैंः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।

इस समय डीएफआईडी की सहायता से 30 चालू परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मार्च-अक्तूबर, 2003 के दौरान डीएफआईडी की सहायता के लिए 37.6 मिलियन पाऊण्ड के कुल अनुदान वाली दो नई परियोजनाएं हस्ताक्षरित की गई थी।

XV. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यूएसएआईडी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

2. उपर्युक्त कुल सहायता में अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2003 के लिए प्राधिकृत 34.020 मिलियन अमरीकी डालर की यूएसएआईडी की विकास सहायता भी शामिल है, जो 30 सितम्बर 2003 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें निम्नलिखित वचनबद्ध 9 (नौ) संशोधनात्मक करार शामिल हैं अर्थात्:-

क्रम सं.	परियोजना	वचनबद्ध अनुदान राशि अमरीकी डालर	संशोधित करार की तारीख
1.	ऊर्जा संरक्षण और व्यापारीकरण (डीआरयूएम)	3,650,000	23-06-2003
2.	एड्स रोकथाम और नियंत्रण परियोजना (एपीएसी)	700,000	04-08-2003
3.	वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (पैक्ट)	2,000,000	11-08-2003
4.	आईएफपीएस	4,880,000	11-08-2003
5.	ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण रोकथाम (जीईपी) परियोजना	1,880,000	21-08-2003
6.	ऊर्जा संरक्षण और व्यापारीकरण	7,700,000	21-08-2003
7.	आरईएफओआरएम	3,000,000	21-08-2003
8.	वित्तीय संस्थान सुधार और विस्तार परियोजना (एफआईआरई)	6,500,000	12-09-2003
9.	डीएमएस	3,715,000	30-09-2003
	जोड़	**34,025,000**	

पी.एल.480 शीर्षक II कार्यक्रम के अधीन, 34.059 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग) की वस्तु सहायता (मालभाड़े सहित) अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2003 (अक्तूबर 2002-सितम्बर 2003) के दौरान यूएसएआईडी द्वारा संवितरित की गई है।

XVI. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी अपनी अधिकांश धनराशि विश्व के वित्तीय बाजारों द्वारा जारी किए गए बाण्डों और अन्य ऋण प्रतिभूतियों से जुटाता है जो इसके सदस्यों से शेयर पूंजी अभिदानों की गारण्टी पर आधारित होते हैं। बैंक निधियों के अन्य स्रोत शेयरधारकों की पूंजी और प्रतिधारक अर्जन हैं। आईबीआरडी ऋण हालांकि गैर-रियायती है, ये वाणिज्यिक स्रोतों की तुलना में सापेक्षतया अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध होते हैं। आईबीआरडी के ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। ब्याज की वर्तमान दर परिवर्तनीय एकल मुद्रा ऋणों पर 1.62 प्रतिशत (दिनांक 15-10-2003 की स्थिति के अनुसार) है। असंवितरित बकाया पर वचनबद्धता शुल्क इस समय 0.75 प्रतिशत है। 0.50 प्रतिशत का बिना शर्त वचनबद्धता शुल्क अधित्याग वार्षिक आधार पर सभी ऋणकर्ताओं को उपलब्ध है। ऋण राशि के 1 प्रतिशत का एक अप फ्रंट शुल्क भी देय है। फिलहाल समय पर भुगतान करने पर ऋणकर्ताओं को 0.25 प्रतिशत की ब्याज में छूट का प्रस्ताव किया गया है।

आईबीआरडी का ऋणों के जरिए दिनांक 30-06-2003 तक संचयी ऋण 30,526.4 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसेकि राजमार्ग, आर्थिक पुनर्गठन, विद्युत, कृषि, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, जलापूर्ति, रेलवे आदि में परियोजनाओं के लिए हैं।

वर्ष 2003 (दिनांक 31.10.2003 तक) के दौरान विश्व बैंक द्वारा 588 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गईः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	स्वीकृति की तारीख
1.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	348.00	17-06-2003
2.	इलाहाबाद उप-मार्ग परियोजना	240.00	14-10-2003
	जोड़	**588.00**	

XVII. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

बैंक का सुलभ ऋण सहयोगी, आईडीए अपने वित्तीय संसाधनों और पूर्व ऋणों से वापसी अदायगियों के लिए मुख्य रूप से अधिक धनी देशों द्वारा समय-समय पर किए गए अंशदानों पर निर्भर करता है।

2. आईडीए वचनबद्धताएं, जिन्हें "ऋणों" के रूप में जाना जाता है, में 10 वर्ष की छूट की अवधि होती है और इसकी वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी होती है। भारत को दिनांक 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और दिनांक 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। असंवितरित शेषों पर वचनबद्धता प्रभार 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम तक प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, तथापि, वर्ष 1989-90 से वचनबद्धता प्रभार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं।

3. भारत को आईडीए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 30.6.2003 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, जल आपूर्ति और सफाई, गरीबी उन्मूलन, कृषि, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, जल संभर विकास, वानिकी, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 29,531.20 मिलियन अमरीकी डालर है।

4. वर्ष 2003 के दौरान (दिनांक 31.12.2003 तक) 497.62 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया थाः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	अनुमोदन की तारीख
1.	आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता निवारण परियोजना	150.03	20-02-2003
2.	छतीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना	112.56	24-04-2003
3.	खाद्य और औषध क्षमता निर्माण परियोजना	54.03	05-06-2003
4.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना	181.00	26-08-2003
	जोड़	**497.62**	

XVIII. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक प्रमुख क्षेत्रीय संस्था है और जिसमें भारत को प्रमुख भूमिका निभानी होती है। इस प्रयोजन के लिए, भारत का एशियाई विकास बैंक के पूंजी भंडार में, सभी सदस्य देशों में से जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य के बाद चौथा सर्वाधिक अभिदान रहा है।

2. वर्ष 1966 में इस की स्थापना होने से लेकर, भारत ने स्वेच्छापूर्वक, एशियाई विकास बैंक से ऋृण नहीं लिया था। तथापि उन स्रोतों में, जिनसे हम विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, विविधता लाने के बारे में विचार किया गया और भारत ने एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1986 से ऋण लेना प्रारम्भ किया। 31.12.2003 तक एशियाई विकास बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के ऋणों के लिए अनुमोदित ऋणों का कुल मूल्य 13.66 बिलियन अमरीकी डालर* था। एशियाई विकास बैंक द्वारा जिन क्षेत्रों के लिए ऋणों को दिया गया था, वे मुख्य रूप से ऊर्जा, पेट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, सड़कें, दूर संचार और सामाजिक (शहरी विकास) आदि हैं। वर्ष 2003 के दौरान एशियाई विकास बैंक के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वार्ताएं की गई और इन परियोजनाओं को एडीबी बोर्ड द्वारा अंतरिम रूप से अनुमोदित किया जाना है।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	*(मिलियन अमरीकी डालर)*
1.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	150.00
2.	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	100.00
3.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-परियोजना-I	400.00
4.	मध्य प्रदेश में शहरी जल-आपूर्ति और पर्यावरण सुधार	200.00
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र-I	400.00
6.	छत्तीसगढ़ राज्य सड़कें	180.00
	जोड़	**1430.00**

XIX. रुसी परिसंघ

पिछले वर्ष के दौरान रुसी परिसंघ की सरकार और भारत सरकार के बीच किसी नए विकासात्मक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तथापि, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 1027 करोड़ रुपए और 1654 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

XX. यूरोपीय समुदाय (ईसी)

यूरोपीय समुदाय 1976 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ई सी की सहायता पूर्णतः अनुदानों के रूप में है और इसका प्रयोग रुपए तथा अभिज्ञात परियोजनाओं की रुपया तथा विदेशी मुद्रा लागत को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। विकास सहयोग के क्षेत्र में, 1976 से यूरोपीय समुदाय की वित्तीय और तकनीकी सहायता का संचयी योग लगभग 2.00 बिलियन यूरो है।

2. यूरोपीय समुदाय के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण। इस समय सिंचाई, वानिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ईसी सहायता प्रदान की जा रही है। शिक्षा क्षेत्र (सर्वशिक्षा अभियान) और स्वास्थ्य क्षेत्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत क्रमशः 200 मिलियन यूरो और 240 मिलियन यूरो की ईसी सहायता वाली दो मुख्य परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

3. ईसी इस समय अपने द्विपक्षीय विकास सहयोग केन्द्रण को एक अथवा दो भारतीय राज्यों के साथ योजना-आधारित और क्षेत्र आधारित अभिगमन से साझेदारी अभिगमन पर परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों को ईसी के "राज्य साझेदारी कार्यक्रम" के लिए परस्पर निर्धारित कर दिया गया है।

4. ईसी ने वर्ष 2004-06 के लिए अपने राष्ट्रीय निर्देशक कार्यक्रम (एनआईपी) पर प्राथमिक ड्राफ्ट दस्तावेज अग्रेषित किया है, जिसमें निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएँ आरंभ करने का पूर्वानुमान हैः-

(i)	छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ राज्य साझेदारी	यूरो	160 मिलियन
(ii)	ईयू-भारत छात्रवृत्ति कार्यक्रम	यूरो	33 मिलियन
(iii)	लघु परियोजना सुविधा, खंड-II	यूरो	7 मिलियन
	कुल	**यूरो**	**200 मिलियन**

5. वर्ष 2003-04 (31-10-2003 तक) के दौरान संवितरण 2.308 मिलियन यूरो था। वर्ष 2003-04 के दौरान 25 मिलियन यूरो की एक नयी वचनबद्धता की गई है, जिसमें 15 मिलियन यूरो ईयू-भारत निवेश विकास कार्यक्रम के लिए और 10 मिलियन यूरो आपदा तैयारी समर्थन कार्यक्रम के लिए है।

XXI. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

वर्ष 2004-05 के दौरान 29.47 करोड़ रुपए मूल्य की नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है।

2. नया देश कार्यक्रम (सीसीएफ II) (2003-07) जो कि भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना के साथ शुरू किया गया है, उसके दो मुख्य उद्देश्य हैंः लिंग समानता और विकेन्द्रीकरण को मजबूत बनाना। यह 4 अभौतिक क्षेत्रों- (1) मानव विकास संवर्धन और लिंग समानता (2) विकेन्द्रीकरण के लिए क्षमता निर्माण (3) गरीबी उन्मूलन और पर्याप्त जीवन निर्वाह और (4) असुरक्षा में कमी और पर्यावरण वहनीयता पर केन्द्रित होगा।

3. भारत ने हाल ही में वर्ष 2003-04 के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर के आवंटन के साथ एक "भारत विकास पहल" आरंभ की। इस प्रकार की पहल का उद्देश्य भारत को एक उत्पादन केन्द्र और निवेश स्थान दोनों के रूप में बढ़ावा देना, इसके अलावा, विदेश में भारत के नीतिपरक आर्थिक अभिरूचियों का उत्थान और संवर्धन करना है। इस "पहल" का प्रयोग अफ्रीकी और दक्षिण एशिया के विकासशील देशों और विकासशील विश्व के अन्य भागों को अनुदान अथवा परियोजना सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। यह "पहल" देशों को एक मुख्य बहु-पक्षीय प्रतिक्रियाशील साझेदार के रूप में दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषतः यूएनडीपी को महत्वपूर्ण सहयोग के उत्तेजक अवसर, विकास प्राथमिकताएँ और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में वृहत अनुभव प्रदान करती है।

XXII. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ)

वर्ष 2003-07 की अवधि के लिए नयी मास्टर योजना पर दिनांक 13.1.2003 को भारत सरकार और यूनीसेफ के बीच हस्ताक्षर किए गए और यूनीसेफ द्वारा 400 मिलियन डालर की राशि का आवंटन किया गया है।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

	प्राप्तियां			वापसी-अदायगियां		
देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2003-2004	संशोधित अनुमान 2003-2004	बजट अनुमान 2004-2005	बजट अनुमान 2003-2004	संशोधित अनुमान 2003-2004	बजट अनुमान 2004-2005
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	2865.50	3696.33	3427.93	2361.28	7842.04	502.50
आई. डी. ए.	4645.27	3940.09	4109.99	2522.12	2424.34	2589.16
आई. एफ. ए. डी.	63.36	91.75	60.72	32.65	32.21	34.14
ए. डी. बी.	1787.86	1906.29	1818.90	431.72	5491.81	81.36
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	5.81	6.04	6.23
ओ. पी. ई. सी.	16.00	2.75	5.00	19.99	76.18	...
कुल (बहुपक्षीय)	**9377.99**	**9637.21**	**9422.54**	**5373.57**	**15872.62**	**3213.39**
द्विपक्षीय						
आस्ट्रेलिया	...	...	...	7.99	29.17	...
आस्ट्रिया	...	...	...	11.42	142.61	...
बेल्जियम	...	...	...	23.83	164.97	...
कनाडा	...	...	...	62.39	1486.94	...
चेक और स्लोवाकिया	...	...	...	4.28	4.28	4.28
डेनमार्क	...	...	...	30.09	413.67	...
जर्मनी	41.50	20.10	67.40	469.16	515.09	532.13
फ्रांस	18.20	29.30	21.00	196.72	214.82	205.58
इटली	...	...	...	89.87	455.29	...
जापान	3426.00	2876.00	3781.24	1881.03	2217.14	2164.52
कुवैत निधि	...	...	0.01	134.95	126.09	...
नीदरलैंड	...	...	...	211.16	2170.12	...
सउदी निधि	...	...	...	34.30	31.63	...
स्वीडन	...	...	...	184.60	510.74	...
स्विटजरलैंड	...	...	...	37.37	17.73	12.19
स्पेन	...	...	...	19.78	118.06	...
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	608.55	564.03	516.60
रूसी संघ	338.71	1027.00	1654.00	239.72	239.26	220.98
कुल (द्विपक्षीय)	**3824.41**	**3952.40**	**5523.65**	**4247.21**	**9421.64**	**3656.28**
कुल जोड़	***13202.40***	***13589.61***	***14946.19***	***9620.78***	***25294.26***	***6869.67***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2003-2004	संशोधित अनुमान 2003-2004	बजट अनुमान 2004-2005
बहुपक्षीय			
आई. डी एफ अनुदान	...	508.85	1186.88
आई बी आर डी (यूएसडी)	...	5.55	...
आई डी ए अमरीकी डालर	0.58	7.40	...
द्विपक्षीय			
आस्ट्रेलिया	4.00	3.00	6.00
कनाडा	0.35	12.12	18.75
डेनमार्क	33.50	29.50	13.50
फ्रांस	1.00	1.00	1.00
जर्मनी	158.50	115.18	133.55
जापान	150.00	39.00	46.00
नीदरलैंड	111.17	140.71	63.02
नार्वे	9.03	0.47	0.17
स्विटजरलैंड	21.43	0.03	...
यूनाइटेड किंगडम	612.00	561.22	611.05
यू.के. (डीएफआईडी)	9.00	213.15	291.60
संयुक्त राज्य अमरीका	74.36	171.31	208.40
ई. ई. सी.	150.00	293.61	627.00
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय			
ए.डी.बी.	...	452.80	...
यू. एन. एफ. पी. ए.	...	36.90	27.00
यू. एन. डी. पी.	84.12	69.99	100.71
यूनीसेफ	...	159.17	130.00
यूएनजीडीएफ	11.00	9.29	11.00
यूएनजीएफएटीएम	9.00	15.50	20.00
यूएनयूएस सहायता	6.19	10.27	...
विश्व स्वास्थ्य संगठन	15.80	...	9.80
वैश्विक डाक संघ	...	1.11	2.50
जी.ई.एफ.	...	...	90.00
कुल जोड़	***1461.03***	***2857.13***	***3597.93***